

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 घ

[नियम 64 देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

.....X.....(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) केX.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन -क्षेत्र से 179 नेपानगर (अ.ज.जा.)..(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) मध्यप्रदेश की विधान सभा के लिए उप- निर्वाचन।

.....X.....महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचन।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री/ श्रीमती....मंजू राजेन्द्र दादु .(नाम)

.20 कानापुर पोस्ट मांजरोद कला तहसील खकनार जिला बुरहानपुर.(पता) [जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/ की गई है।]

उस सदन में,

श्री/श्रीमती..... X..... के पदत्याग के कारण

श्री. राजेन्द्र दादु आत्मज श्री श्यामलाल दादु... मृत्यु के कारण ।

श्री/श्रीमती..... X.....का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिये जाने के कारण

श्री/श्रीमती. राजेन्द्र दादु आत्मज श्री श्यामलाल दादु का स्थान रिक्त हो जाने के कारण/घोषित कर दिये जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए/गई है।

स्थान: बुरहानपुर

तारीख 22/11/2016

(अनिल सपकाले)

रिटर्निंग आफिसर

179 नेपानगर (अजजा) विधान सभा क्षेत्र
जिला बुरहानपुर